कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग (राज0)
(जिला न्यायालय परिसर, डीग)

फोन/ई–मेलः–dlsa39deeg@gmail.com हेल्पलाईन नंबरः– 9216088347

कमांकः– 75 दिनांकः– 01.07.2026

विज्ञप्ति

श्रीमान् से निवेदन है कि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश कमांक एफ–(29)रालसा/संस्था/नवीन वाहन चालक पद सृजन/2026/453 दिनांक 24.06.2026 और राजस्थान सरकार, विधिक विभाग की आज्ञा संख्या प.8(1)विधि–2/विरस(194)/2026–68576 दिनांक 19.06.2026 के अनुकम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालयों में उपलब्ध राजकीय वाहनों (Maruti Suzuki ML6/Urbania) के संचालन हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र एवं संविदा सेवाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के दिशा–निर्देशों की पालना में संविदा पर 01 वाहन चालक की सेवायें दिनांक 01.07.2026 से दिनांक 31.03.2026 तक लिये जाने हेतु राज्य सरकार के विभागों से सेवानिवृत कार्मिकों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

क.सं	कार्यलय का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग	वाहन चालक (संविदा पर)	01

शर्तेः–

1. उक्त पदों पर सेवाओं फलस्वरूप समेकित परिश्रमिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के निर्देशानुसार देय होगी। कर्मचारीगण का चयन निम्न प्राथमिकता के कम में किया जायेगा।
2. ऐसे सेवानिवृत कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, वे विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप मे मय वांछित दस्तावेजान प्रस्तुत करेंगे। उक्त वाहन चालक की सेवाएं राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के अध्यधीन प्रभावी रहेंगी।
3. ऐसे सेवानिवृत कार्मिकों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया है या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया है के संबंध में पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
4. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति कार्मिक की सेवा किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किए जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत वाहन चालक दिनांक 05.07.2026 को सांय 05.00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन deeg.dcourts.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक हैः–

1. विभाग द्वारा जारी सेवानिवृति आदेश की प्रति
2. अभिन्न भुगतान प्रमाण पत्र(एल.पी.सी) की प्रति
3. पी.पी.ओ. की प्रति

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
डीग

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
डीग (राज०)

कमांकः– 1780 -1787 दिनांकः– 01.09.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीग
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान
4. जिला कलेक्टर, डीग को समस्त अधीनस्थ विभागों/पीएसयूएस में सूचित करने बाबत्।
5. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, डीग
6. जिला नियोजन अधिकारी, डीग
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीग
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
डीग

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
डीग (राज०)

कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डीग (राज0)
(जिला न्यायालय परिसर, डीग)

फोन/ई–मेलः–dlsa39deeg@gmail.com हेल्पलाईन नंबरः–9216088347

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत कर्मचारी का नाम :– .....
2. पिता/पति का नाम :– .....
3. जन्म तिथि :– .....
4. पता मय मोबाइल नंबर :– .....
   .....
5. आयु :– ..... वर्ष ..... माह ..... वर्ष.....
6. अर्हताए :– .....
7. मूल विभाग का नाम :– .....
   .....

8. सेवानिवृति से पूर्व धारित पद :– .....
   .....
9. अनुभव :– .....
   .....
10. सेवानिवृति के समय मूल वेतन
    (रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे) :– .....
    एल.पी.सी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन :– .....
    (पी.पी.ओ. की प्रति संलग्न करे)
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृति का समय) :– .....
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) :– .....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत कर्मचारी द्वारा हस्ताक्ष्ज्ञरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तों के अनुसरण में सेवानिवृति के पश्चात् राज्य सरकार में पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता हूँ।

दिनांकः–

स्थान :–

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी श्री .... जो सेवानिवृति से पूर्व ..... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती .... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृति के समय श्री/श्रीमती .... मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड, वेतन+ग्रेड पे/ पे–लेवल) आहरित कर रहा था/कर रही थी और श्री/श्रीमती ..... अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती ..... के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील